राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्तव्य ■ समर्पण

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 1 दिसम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

नर्सरी दाखिले की दौड़ आज से

ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन होगा

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में बृहस्पतिवार से नर्सरी दाखिले की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के लगभग 1700 मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षाओं में दाखिलों के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। स्कूलों ने नर्सरी दाखिले के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर रखी गई है। पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रुमा पाठक ने बताया कि स्कूल में ऑफलाइन आवेदन सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मिलेंगे। स्कूल में नर्सरी 120 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दाखिले 100 प्वाइंट्स वाले क्राइटेरिया से होंगे। इसमें नेबरहुड, गर्ल चाइल्ड, सिबलिंग, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड व पेरेंट्स एल्यूमनी शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया के बाद दाखिले की पहली लिस्ट 20 जनवरी को जारी की जाएगी। इसके बाद दाखिले की दूसरी सूची 6 फरवरी को जारी की जाएगी। दो लिस्ट के बाद भी यदि स्कूलों में सीटें बचती हैं तो तीसरी लिस्ट 1 मार्च को जारी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की नर्सरी की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 17 मार्च रखी गई है।

स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर

दाखिले की पहली लिस्ट 20 जनवरी को

मात्र 200 स्कूलों में ही नर्सरी दाखिले की मारामारी : स्कूल एसोसिएशन

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली में मात्र 200 नामचीन स्कूल ही ऐसे हैं जहां पर दाखिले की मारामारी होती है जो उनकी वेबसाइट पर आसानी से दिखाई भी देगा। दिल्ली के 1500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर दाखिले ही इन स्कूलों में दाखिले का प्रोसेस पूरा होने के बाद शुरू होते हैं। कुछ वर्ष पहले जब दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक दाखिला प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया था तो उस समय दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक सदस्य स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि हमारे जैसे स्कूलों में तो दाखिले 1 अप्रैल से शुरू होते हैं जब इन नामचीन स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला दिलाने में असफल हो जाते हैं तो उस समय बाकी स्कूलों में अभिभावक दाखिले के लिए प्रयास करते हैं। तब सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे स्कूलों को 31 जुलाई तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश दिया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने दिल्ली के सभी अभिभावकों को यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा नर्सरी, केजी, फर्स्ट में दाखिले से वंचित नहीं रह सकता। क्योंकि दिल्ली के अधिकतर स्कूल आज भी बच्चों की घटती संख्या से जूझ रहे हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को भी काफी हद तक प्रभावित करता है।